/

नरेंद्र हिरावत और सी. ओ. बनाम.

शोले मीडिया एंटरटेनमेंट पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 1867-1868)

/

07 मार्च, 2022

[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

इन्जंक्शनःअपीलार्थी (एन. एच. सी.) और प्रत्यर्थी सं.1 (एस. एम. ई.) आई. डी. 1 करोड़ की राशि के लिए फिल्मों के अधिकारों के लिए-राशि और कर के बोझ के भुगतान के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए, जो एन. एच. सी. और एस. एम. ई. के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट गए-निपटान विलेख निष्पादित किया गया जिसमें मुख्य शर्त यह थी कि एन. एच. सी. को चार किश्तों में और राशि का भुगतान करना था-निपटान विलेख की शर्तों का कथित रूप से पालन न करने के आधार पर एस. एम. ई. द्वारा जारी समाप्ति नोटिस-एन. एच. सी. ने एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एस. एम. ई. को अपीलकर्ता के लाइसेंस प्राप्त अधिकारों के लाभ में बाधा डालने से रोकने के लिए स्थायी और अस्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा करने की मांग की गई-इस बीच, एन. एच. सी. और प्रतिवादी नं.2, एक निश्चित अवधि के लिए उक्त फिल्म के अधिकारों के लिए जी. टी. पी.-इसके बाद, जी. टी. पी. ने एन. एच. सी. के साथ उपरोक्त उप-लाइसेंस को समाप्त कर दिया और धनवापसी की मांग की-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एन. एच. सी.-डिवीजन बेंच के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दे दी, हालांकि, एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया-अपील पर, कहा गयाःनिपटान विलेख के निष्पादन से पहले, एन. एच. सी. ने पहले ही प्रारंभिक समझौते के संदर्भ में पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया था-निपटान विलेख के बाद भी, रु। 56 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है-एन. एच. सी. द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान एस. एम. ई. द्वारा जारी किए गए चालानों के खिलाफ था-शेष राशि के संबंध में चालान जारी नहीं करने के लिए एस. एम. ई. द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि चालान जारी होने पर तुरंत जी. एस. टी. के भुगतान का दायित्व जमा हो जाता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है-पक्षों के आचरण को ध्यान में रखते हुए, इक्विटी एन. एच. सी. के पक्ष में है-एन. एच. सी. ने पर्याप्त भुगतान किया है और शेष राशि जो कुल राशि का 10 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, एकल न्यायाधीश के निषेधाज्ञा आदेश के संदर्भ में पहले ही उच्च न्यायालय में जमा कर दी गई है-एन. एच. सी. ने निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है-सुविधा का संतुलन एन. एच. सी. के पक्ष में है-इसके साथ किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए

/

/

/

/

/

/

857

858 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

निषेधाज्ञा आदेश-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया जाना है।

वांडर लिमिटेड और एन**.** आर**.** वी**.**एंटोक्स इंडिया पी**.** लिमिटेड **1990 (**सप**.)** एस**.** सी**.** सी**. 727;** शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी**.** कनिया और अन्र। **(1981) 4** एस**.** सी**.** सी**. 8;** दोराब कवासजी वार्डन बनाम कूमी सोराब वार्डन और अन्य। **(1990) 2** एससीसी **117:[1990] 1** एससीआर **332;** मेट्रो मरीन और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम। बोनस वॉच कं**. (**पी**)** लिमिटेड और ओआरएस। **(2004) 7** एस**.** सी**.** सी**. 478;** बेस्ट सेलर रिटेल **(**इंडिया**)** प्राइवेट लिमिटेड बनाम**.**आदित्य बिड़ला नुवो

/

लिमिटेड और ओआरएस। (2012) 6 एससीसी 792:[2012] 5 एससीआर 834;

कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड।

/

(1999) 7 एससीसी **1:[1999] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 560-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

1990 (सप**)** एस**.** सी**.** सी**. 727**

संदर्भित

/

(1981) 4 एससीसी **8**

संदर्भित

[1990] 1 एससीआर **332**

संदर्भित

(2004) 7 एस**.** सी**.** सी**. 478**

संदर्भित

[2012] 5 एससीआर **834**

संदर्भित

/

[1999] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 560** संदर्भित

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 1867-1868।

2019 के वाणिज्यिक आई. पी. सूट No.1387 में 2019 के प्रस्ताव के नोटिस में 2020 की वाणिज्यिक अपील (एल) No.8026 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से और 2019 के वाणिज्यिक आई. पी. सूट No.1387 में 2019 के प्रस्ताव के नोटिस में 2020 के वाणिज्यिक अपील (एल) No.2591 से।

/

सह

/

2022 की सिविल अपील Nos.1869-1870।

मुकुल रोहतगी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, अनिरुद्ध भाटिया, सुश्री दीपशिखा मिश्रा, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

859

NARENDRA HIRAWAT और CO. v.शोले मीडिया एंटरटेनमेंट पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

/

नीरज किशन कौल, सिद्धार्थ भटनागर, चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मेहूल एम. गुप्ता, सुश्री श्रेया पारिख, अर्चित जयकर, सुश्री दिव्या त्यागी, आर. पी. गुप्ता, औरूप दासगुप्ता, रोहन थवानी, सुश्री पूजा धर, सुश्री गुंजन आहूजा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थियों द्वारा दायर निषेधाज्ञा और अन्य राहतों के लिए एक मुकदमे के संबंध में, बॉम्बे में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 मार्च, 2020 को दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश को मंजूरी दे दी, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष दायर अपीलों में चुनौती दी गई थी।अपीलों को अनुज्ञात गई है और एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश को अपीलीय पीठ द्वारा उलट दिया गया है।डिवीजन बेंच के उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए, विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से ये अपील दायर की गई हैं।चूंकि ये अपीलें एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, इसलिए हम वर्तमान अपीलों के उद्देश्य के लिए केवल प्रासंगिक तथ्य दे रहे हैं।

/

/

3. आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी नरेंद्र हिरावत और कंपनी (संक्षेप में 'एन. एच. सी.') और प्रतिवादी नं.1, शोले मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में 'एस. एम. ई.') को 'शोले' और 'शोले 3 डी' फिल्मों के अधिकारों के लिए 'आई. डी. 2' से 'आई. डी. 1' तक की अवधि के लिए 'आई. डी. 3' करोड़ की राशि के लिए।इसी तारीख का दूसरा समझौता उसी फिल्म 'शोले' और 'शोले 3 डी' के अधिकारों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि में किया गया था।यह अपीलों के पहले समूह के संबंध में था (इसके बाद "शोले अपील" के रूप में संदर्भित)।अपीलों के दूसरे समूह में, एन. एच. सी. और प्रतिवादी नं.1 इसमें जेनरेशन थ्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'जी3' कहा जाएगा) शामिल है।ये समान अवधि के लिए एन. एच. सी. के पक्ष में दिए गए 32 फिल्मों के अधिकारों के संबंध में थे।अपीलों के इन दोनों सेटों में तथ्य, हालांकि समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन बहुत समान हैं।सुविधा के लिए हम अपीलों के पहले समूह के तथ्यों पर विचार करेंगे, जिसे हम अब से "शोले अपील" के रूप में संदर्भित करेंगे।

/

/

/

4. उपरोक्त समझौतों के निष्पादन के बाद, 12.07.2016 पर दिनांकित 09.09.2015 लाइसेंस समझौतों में दो परिशिष्ट निष्पादित किए गए थे।इन परिशिष्ट में निर्धारित किया गया था कि रुपये की अतिरिक्त राशि पर। 1. 75 करोड़

/

860

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

एन. एच. सी. द्वारा भुगतान किए जाने के लिए, एन. एच. सी. के पास फिल्म के असीमित प्रदर्शन के अधिकार होंगे और इस अवधि को 31.03.2027 से 30.09.2027 तक बढ़ा दिया गया था।राशि के भुगतान और कर के बोझ के संबंध में बनी व्यवस्था के संबंध में कुछ विवाद थे, जिन्हें अपीलार्थी-एन. एच. सी. और प्रत्यर्थी नं.1 -एसएमई। 16.05.2018 के बीच में, अपीलार्थी-एन. एच. सी. और प्रत्यर्थी नं.2 अर्थात्, प्रतिवादी सं. के पक्ष में उक्त फिल्म के अधिकारों के लिए गोल्डमाइन्स टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड।2, जो 15.11.2021 से 14.11.2026 की अवधि के लिए था।

/

5. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, क्योंकि एन. एच. सी. और प्रत्यर्थी नं.1 - एस. एम. ई., दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और अंततः 05.11.2018 पर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचा गया।अंत में, 03.12.2018 पर, एन. एच. सी. और एस. एम. ई. के बीच एक निपटान विलेख निष्पादित किया गया-प्रतिवादी नं.1 जिसमें मुख्य शर्त यह थी कि एन. एच. सी. को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना था। 81 करोड़ रुपये की चार किश्तों में। 25 करोड़, रु। 2. 46 करोड़ रु. 2. 50 करोड़ और रु। 2. 50 करोड़ और उस अवधि के बजाय जो पहले 30.09.2027 तक थी, उसे आगे एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 30.09.2028 तक।

/

/

6. अंततः, अंतिम विवाद जो अब इन कार्यवाहियों में समाप्त हो गया है, कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, दिनांकित निपटान के अंतिम विलेख का पालन न करने के लिए है।1 भुगतान निपटान विलेख के संदर्भ में नहीं किया गया है।हालाँकि, एन. एच. सी. का रुख यह है कि पर्याप्त भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं, और जो भुगतान नहीं किया गया है, वह प्रतिवादी नं.1. यह कहा गया है कि एन. एच. सी. हमेशा भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक रहा है।

हालाँकि, दिनांकित 03.12.2018 के निपटान विलेख की शर्तों के कथित गैर-अनुपालन के आधार पर, प्रतिवादी नं.1 18.06.2019 पर।

/

/

7. प्रत्यर्थी नं.2, 26.08.2019 दिनांकित सूचना द्वारा, 16.05.2018 दिनांकित उप-लाइसेंस समझौते को समाप्त कर दिया गया जो NHC के साथ किया गया था, और NHC से Rs.11 करोड़ से अधिक की वापसी की मांग की। 8.प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी दिनांकित समाप्ति सूचना के संबंध में।1, एनएचसी ने 30.08.2019 पर एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया।दावा की गई राहतों में यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना शामिल थी कि वादी सभी क्षेत्रों के लिए सूट फिल्मों के संबंध में एकमात्र और अनन्य लाइसेंसधारी है, आगे घोषणा कि समाप्ति पत्र अवैध था, विधि में खराब, अमान्य और ए

/

/

प्रतिवादियों को लाइसेंस प्राप्त अधिकारों और नुकसान का आनंद लेने से रोकने वाला अमान्य और अप्रवर्तनीय, स्थायी निषेधाज्ञा।अस्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी गई थी।दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश (जिनके समक्ष वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया गया था) ने एन. एच. सी. के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की, जिसमें प्रतिवादियों को वाद फिल्मों में अपीलार्थी के लाइसेंस अधिकारों के आनंद को बाधित करने से रोका गया और प्रत्यर्थी नं.1 - एस. एम. ई. समाप्ति सूचना पर कार्रवाई करने से।उत्तरदाताओं नं।1 & 2 24.10.2019 पर निष्पादित समझौते पर कार्रवाई करने से भी रोक दिया गया था, जो मुकदमा दायर करने के बाद, उत्तरदाताओं के बीच दर्ज किया गया था।1 और 2, अपील के पहले सेट में फिल्म शोले और शोले 3 डी के अधिकार और प्रतिवादी नं.2.उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की गई थी, जिसे प्रतिवादियों के पक्ष में अनुज्ञात गई है और इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष ये अपीलें की गई हैं।9. श्री मुकुल रोहतगी और डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अंकुर सहगल, विद्वान वकील दोनों अपीलों में एन. एच. सी. की ओर से पेश हुए हैं।श्री नीरज किशन कौल, श्री सिद्धार्थ भटनागर और श्री सी. यू. सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री आर. पी. गुप्ता और सुश्री पूजा धर, विद्वान वकील ने अपीलों के दोनों सेटों में उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया है।हमने उन्हें विस्तार से सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

/

/

/

/

10. ऊपर बताए गए तथ्य पक्षों के विद्वान वकील द्वारा विवादित नहीं हैं।उपरोक्त तथ्यों से यह पता लगाया जा सकता है कि यद्यपि प्रारंभिक समझौतों के भुगतान और अन्य खंडों के साथ-साथ परिशिष्ट के संबंध में कुछ विवाद थे, लेकिन 03.12.2018 पर निपटान विलेख के निष्पादन के बाद, सभी पूर्व विवादों को सुलझा लिया गया था और अब जो आवश्यक था वह उक्त विलेख का अनुपालन था।इस विलेख में प्रावधान किया गया था कि एन. एच. सी. को रुपये की राशि का भुगतान करना था। प्रत्यर्थी सं. को 8.71 करोड़।1 चार किश्तों में और लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिए यानी 30.09.2028 (पहले की तरह 30.09.2027 के बजाय) तक बढ़ाई जानी थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया था और कहा था कि सुविधा का संतुलन एन. एच. सी. के पक्ष में था और उसके बाद अपीलार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा दी गई थी।प्रथम दृष्टया मामले के पहलू पर, एकल न्यायाधीश ने पाया कि भुगतान दायित्व मोटे तौर पर वादी (हमारे समक्ष अपीलार्थी) द्वारा पूरा किया गया था।प्रतिवादियों द्वारा विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 14 (डी) के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया गया था।यह.

/

/

/

यह तर्क दिया गया था कि विषय अनुबंध निर्धारित करने योग्य थे और इसलिए इसका कोई विशिष्ट प्रदर्शन नहीं दिया जा सकता था।हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि यह एक ऐसा खंड नहीं था जो एकतरफा निर्धारण पर विचार करता था, लेकिन यह निर्धारित करने का अधिकार दूसरे पक्ष द्वारा समझौते का उल्लंघन करने के अधीन था।अंतरिम राहत देने की शर्त के रूप में, वादी को रुपये की पूरी शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। निपटान विलेख के अनुसार 3 करोड़ 25 लाख रुपये।इस तरह की जमा राशि न्यायालय में जमा की जानी थी और हमें वादी के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया जाता है कि निर्देश के इस हिस्से का पालन

किया गया है।11. डिवीजन बेंच ने अपील में पूरे मामले पर पुनर्विचार किया है और प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला किया है।यह, अन्य बातों के साथ-साथ, डिवीजन बेंच द्वारा अपील के अंतर्गत निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया हैः-

/

/

“62. आक्षेपित आदेश ने अत्यधिक असमान स्थिति पैदा कर दी है।एक वादी, जो समझौतों की आवश्यक शर्तों का लगातार उल्लंघन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था, जो मुकदमे की तारीख को बकाया था, जिसने अभी तक अंतिम मुकदमे में अपने अधिकारों को स्थापित नहीं किया है, उसे समाप्त समझौते के अंतर्गत सभी अधिकारों का दोहन करने के लिए एक अनिवार्य अंतरिम निषेधाज्ञा के माध्यम से अनुमति दी जाती है।लाइसेंस प्राप्त सामग्री के वास्तविक मालिकों को उनके संपत्ति अधिकारों का मुद्रीकरण करने से रोका जाता है। गोल्डमाइन्स टेलीफिम्स, जिसने वादी और लाइसेंसकर्ता अपीलकर्ता दोनों को पैसे का भुगतान किया है, लाइसेंस का दोहन करने से वंचित है।इस तरह के कठोर अंतरिम आदेश के लिए कोई असाधारण स्थिति मौजूद नहीं थी।

/

/

63. इसलिए, पक्षों के बीच अनुबंध के सही निर्माण के अनुसार, वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि वादी अनुबंध की शर्तों का एक आवश्यक हिस्सा करने के लिए तैयार था और हमेशा तैयार और इच्छुक रहा है।वादी द्वारा कोई भी प्रथम दृष्टया मामला, एक उच्च प्रथम दृष्टया मामले से बहुत कम, स्थापित नहीं किया गया है।समाप्ति प्रभावी होने और तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जाने के छह महीने बाद समाप्ति पर रोक लगाने के समान फिर से अनिवार्य निषेधाज्ञा देने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं।चूंकि आक्षेपित आदेश पारित करते समय अनुबंध की बुनियादी आवश्यक शर्तों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की अनदेखी की गई है, इसलिए निषेधाज्ञा के अनुदान को दरकिनार करना होगा, भले ही ये अपीलें सैद्धांतिक रूप से अपील हों।

/

/

64. नतीजतन, इन चार वाणिज्यिक अपीलों की अनुज्ञात जाती है।वाणिज्यिक आई. पी. ए. में एकल न्यायाधीश द्वारा नोटिस ऑफ मोशन No.2591/2019 में 9 मार्च 2020 को पारित सामान्य आक्षेपित आदेश

/

वाणिज्यिक आई. पी. सूट No.1469/2019 में सूट No.1387/2019 और नोटिस ऑफ मोशन No.2607/2019 को अलग रखा गया है।तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

12. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, पूरा मामला 03.12.2018 पर निष्पादित निपटान विलेख के आसपास आता है।विवादित बात यह नहीं है कि एन. एच. सी. द्वारा प्रत्यर्थी को किए जाने वाले चार भुगतानों में से नं.1, पहला और दूसरा भुगतान अपीलार्थी-एन. एच. सी. द्वारा या तो प्रत्यर्थी सं.1 या चालान जारी होने के बाद।हालांकि, पहले दो भुगतान किए जाने के बाद, प्रतिवादी नं।1 रुपये की राशि के लिए तीसरा चालान जारी किया। 1. 75 करोड़ (हालांकि तीसरी किस्त रु। 2. 50 करोड़) केवल 03.06.2019 पर और चालान जारी होने के बाद, रु। एन. एच. सी. द्वारा 10.06.2019 पर 1.75 करोड़ रुपये बनाए गए थे।यह एन. एच. सी. का मामला है कि उसके बाद एन. एच. सी. प्रतिवादी से नहीं पूछ रहा था।1 शेष राशि के लिए चालान जारी करने के लिए ताकि एन. एच. सी. रुपये में से शेष भुगतान करने में सक्षम हो सके। निपटान विलेख के अंतर्गत सहमति के अनुसार 8.71 करोड़ रुपये, लेकिन चूंकि चालान जारी नहीं किए गए थे (क्योंकि वे जीएसटी के भुगतान के लिए आवश्यक थे), इसलिए अपीलकर्ता-एन. एच. सी. द्वारा आगे कोई भुगतान नहीं किया गया। एन. एच. सी. के अनुसार, हर अवसर पर पहले एन. एच. सी. द्वारा भुगतान केवल प्रतिवादी नं.1 – एस. एम. ई., जिसमें जी. एस. टी. राशि और अंतिम भुगतान शामिल था, प्रत्यर्थी सं.1 – एसएमई।

/

/

/

/

13. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क नं।1 यह है कि चालान जारी करने की आवश्यकता दिनांक 03.12.2018 के निपटान विलेख के संदर्भ में किए जाने वाले भुगतान के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं थी, जबकि एन. एच. सी. का कहना है कि निपटान विलेख के खंड 4 के संदर्भ में, प्रतिवादी नं.1 भुगतान की प्रत्येक किश्त के खिलाफ चालान जारी करना था, जिसमें जी. एस. टी. सहित राशि बताई गई थी, जिसके बाद अपीलार्थी-एन. एच. सी. को भुगतान करना था। वर्तमान मामले में पूरा विवाद इस प्रावधान के इर्द-गिर्द टिका होगा कि क्या एन. एच. सी. ने प्रतिवादी नं.1 या अन्यथा।14. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम जो देखते हैं वह यह है कि निपटान विलेख के निष्पादन से पहले, एन. एच. सी. ने पहले ही दिनांकित प्रारंभिक समझौते के

संदर्भ में Rs.20 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान कर दिया था।फिर निपटान विलेख के अनुसार भी रु। 4. 46 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।हम यह भी देखते हैं कि अभिलेख से यह स्पष्ट है, और उत्तरदाताओं द्वारा विवादित नहीं है, कि प्रत्येक भुगतान जो था

/

/

/

एन. एच. सी. द्वारा किए गए चालान उन चालानों के खिलाफ थे जो प्रतिवादी नं.1.

15. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया एकमात्र कारण नं।1 शेष राशि के संबंध में चालान जारी नहीं करने के लिए यह था कि चालान जारी होने पर जी. एस. टी. के भुगतान की देनदारी तुरंत जमा हो जाएगी, भले ही एन. एच. सी. ने पैसे का भुगतान न किया हो।हम औचित्य के इस रूप को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि पिछले सभी भुगतानों के लिए, चालान प्रत्यर्थी सं।1 – एसएमई।

/

16. इस स्तर पर, हम चालान जारी करने से संबंधित खंड 4 सहित निपटान विलेख के विभिन्न खंडों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा मामला होगा जिस पर मुकदमे की कार्यवाही में पहले विचार किया जाएगा।हालाँकि, पक्षों के आचरण पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि चालान प्रत्यर्थी सं. 1 इससे पहले कि प्रत्येक भुगतान अपीलार्थी-एन. एच. सी. द्वारा किया गया था, और कुल भुगतान का केवल एक अंश का भुगतान किया जाना बाकी था, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी एन. एच. सी. के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करते हुए उन्हें अदालत में जमा करने का निर्देश दिया, जिसके अनुसरण में रु। एनएचसी द्वारा उच्च विचारण न्यायालय में पहले ही साढ़े तीन करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं और अन्य उपस्थित कारकों और परिस्थितियों पर भी विचार करते हुए, हमारी राय है कि निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए निषेधाज्ञा आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

/

/

/

17. अन्यथा भी, हमारी राय है कि निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा हस्तक्षेप विशेष रूप से तब उचित नहीं था जब पारित निषेधाज्ञा आदेश को, हमारी राय में, विधि में विकृत या अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता था।अनुदान देने के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाले पक्षों के विद्वान वकील की ओर से कई अधिकारियों का हवाला दिया गया था।

/

अंतरिम निषेधाज्ञा।वांडर लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.एंटोक्स इंडिया पी. लिमिटेड [1990 (पूरक) एस. सी. सी. 727], यह आयोजित किया गया थाः-

“14.डिवीजन बेंच के समक्ष अपील एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ थी।ऐसी अपीलों में, अपीलीय न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने स्वयं के विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करेगा, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, या मनमौजी या विकृत रूप से किया गया है या जहां न्यायालय ने अंतर्वर्ती निषेधाज्ञाओं के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले विधि के तय किए गए सिद्धांतों की अनदेखी की है।विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ अपील को सिद्धांत रूप में अपील कहा जाता है।अपीलीय न्यायालय ए का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगी

/

/

865

NARENDRA HIRAWAT और CO. v.शोले मीडिया एंटरटेनमेंट पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

सामग्री और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें यदि उस न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था।अपीलीय न्यायालय आम तौर पर केवल इस आधार पर अपील के अंतर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने मुकदमे के चरण में मामले पर विचार किया होता तो वह एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच जाता।यदि निचली न्यायालय द्वारा विवेक का उचित और न्यायिक तरीके से प्रयोग किया गया है, तो यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा, निचली न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता है।इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद

/

गजेंद्रगडकर, जे. इन प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम.पोथान

जोसेफ [(1960) 3 एससीआर 713:ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1156]:(एससीआर 721) "। ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन जैसा कि विस्काउंट साइमन ने चार्ल्स ओसेनटन एंड कंपनी बनाम में देखा है।झानाटन [1942 ए. सी. 130] '. अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की अपील की न्यायालय द्वारा वापसी के बारे में विधि अच्छी तरह से स्थापित है, और कोई भी कठिनाई जो उत्पन्न होती है वह केवल एक व्यक्तिगत मामले में अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण होती है।' "

/

/

अपीलीय निर्णय इस सिद्धांत को टालता हुआ प्रतीत नहीं होता है। "

18. शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कनिया के मामले में

/

और एन**.** आर**. [(1981) 4** एस**.** सी**.** सी**. 8],** इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908** के आदेश **43** नियम **1** के साथ पठित धारा **104** एक लेटर्स पेटेंट अपील पर भी लागू होती है।दोराब में

कवासजी वार्डन बनाम कूमी सोराब वार्डन और अन्य। **[(1990) 2** एससीसी

117] अंतरिम चरण में अनिवार्य निषेधाज्ञा का अनुदान न्यायालय के ठोस न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है।मेट्रो मरीन और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम।

/

बोनस वॉच कं. (पी) लिमिटेड और ओआरएस। [(2004) 7 एस. सी. सी. 478] भी निम्नलिखित है।

दोराब कवासजी वार्डन (ऊपर) के मामले में निर्धारित सिद्धांत।लेकिन इन दोनों प्राधिकरणों ने अचल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न विवादों के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा देने के प्रश्न से निपटा।अंतरिम निषेधाज्ञा देने के प्रश्न पर संहिता के आदेश 39 के नियम 1 और 2 के लागू होने की पुष्टि एक

/

बेस्ट सेलर रिटेल **(**इंडिया**)** प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय की पीठ का समन्वय करें। बनाम आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड और अन्य। **[(2012) 6** एससीसी **792]**।कोलगेट पामोलिव **(**इंडिया**)** लिमिटेड। बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड **[(1999)**

7 एस**.** सी**.** सी**. 1],** अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है**:-**

/

866

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

"24. तथापि, हम समझते हैं कि अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा प्रदान करने के मामले में कुछ विशिष्ट विचारों को नीचे नोट करना उचित है, जिसका मूल आधार न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष के बारे में राय की अभिव्यक्ति न करना है, क्योंकि निषेधाज्ञा प्रदान करने का मुद्दा, आमतौर पर, जहां तक समय-सीमा का संबंध है, जल्द से जल्द संभव चरण में होता है।निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए आवेदन या याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायालय के साथ जिन अन्य विचारों पर विचार करना चाहिए, वे नीचे दिए गए हैं**:**

/

((i) नुकसान की सीमा एक पर्याप्त उपाय है;

(ii) अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए वादी के हित की रक्षा करें, हालांकि, उस चोट को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिवादियों को उसके कारण से हो सकती है;

/

((ग) न्यायालय को मामले पर विचार करते समय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक पक्ष का मामला दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक मजबूत है।

/

((iv) निषेधाज्ञा देने के मामले में कोई निश्चित नियम या धारणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर-राहत को लचीला रखा जाना चाहिए;

(v) इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या निषेधाज्ञा से इनकार करने पर वादी को पक्षकारों के मामले की ताकत को ध्यान में रखते हुए अपूरणीय नुकसान और चोट का सामना करना पड़ेगा।

/

(vi) सुविधा या असुविधा के संतुलन को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही अनुदान के समर्थन में कोई गंभीर प्रश्न या प्रथम दृष्टया मामला हो।

/

((vii) क्या निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने से आम जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति अन्यथा की जा सकती है या नहीं। "

19. हालाँकि, हमारी राय में, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों पर किया जाना है और वर्तमान मामले में, ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए, समानता एन. एच. सी. के पक्ष में है। इसने पर्याप्त भुगतान कर दिया है और शेष राशि, जो कुल राशि के 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है, एकल न्यायाधीश के निषेधाज्ञा आदेश के संदर्भ में पहले ही उच्च न्यायालय में जमा कर दी गई है।जहां तक प्रत्यर्थी के दावे का संबंध है, नं.2, उल्लेखनीय बात यह है कि शुरू में उप-लाइसेंस समझौते को एन. एच. सी. और प्रतिवादी नं. 2 16.05.2018 पर।विवाद के बाद ए

/

/

उत्पन्न हुआ, समाप्ति सूचना प्रत्यर्थी सं।1 18.06.2019 पर।एन. एच. सी. द्वारा 29.08.2019 पर मुकदमा दायर किया गया था और तभी, 24.10.2019 पर प्रतिवादी नं.2 प्रत्यर्थी सं. के साथ एक नया समझौता किया।1 अपील के पहले सेट में शोले और शोले 3 डी और अपील के दूसरे सेट में 32 अन्य फिल्मों के संबंध में।उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं के बीच समझौते नहीं।1 और 2 दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दर्ज किए गए थे, जिनमें से प्रतिवादी नं।2 यह भी अच्छी तरह से पता होगा, हमारी राय है कि प्रतिवादी नहीं।2 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा आदेश द्वारा भी शासित होगा।

/

/

20. चूंकि अपीलों के दोनों सेटों के तथ्य एक ही तर्ज पर हैं, कुछ तिथियों और भुगतान की जाने वाली कुछ राशियों के मामूली अंतर के साथ, और कोई अन्य भौतिक अंतर नहीं होने के कारण, अपीलों के दोनों सेट इस आदेश द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

21. तदनुसार, जैसा कि हमारा दृढ़ विचार है कि अपीलार्थी ने निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और यह भी कि सुविधा का संतुलन अपीलार्थी-एन. एच. सी. के पक्ष में

है, इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं।एकल न्यायाधीश का आदेश ठोस तर्क पर आधारित था और हम एकल न्यायाधीश द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश देने में विवेक का प्रयोग करने में कोई गलती नहीं पाते हैं।हम, इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल करते हैं।तथापि, विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वह मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाए और विधि के अनुसार और एकल न्यायाधीश द्वारा निषेधाज्ञा आदेश देते समय या अपील में पारित उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर, यथासंभव शीघ्रता से निर्णय ले।पक्ष उच्च न्यायालय में किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

/

/

/

22. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

निर्देश जारी किए गए।

/